

के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संगम अभिप्रेत है ;

- (ग) “कर्मिदल के सदस्य” से प्रचालन आपरेशन में साथ चलने वाले गाइडों सहित ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विविध साहसिक क्रियाकलापों, जैसे कि रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्क का संचालन करते हैं;
- (घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) “अनुदेशक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, इस रूप में अर्हित और रजिस्ट्रीकृत है और विविध साहसिक क्रियाकलापों के निर्विघ्न और सुरक्षित समापन के लिए साथ में रहता है या उनका संचालन करता है ;
- (च) “विविध साहसिक क्रियाकलाप” से ऐसे साहसिक क्रियाकलाप, जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस या कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत हैं ;
- (छ) “ऑपरेटर” से ऐसा / ऐसे साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर, चाहे वैयक्तिक, कम्पनी या संगम या सोसाइटी है/हैं, जो विविध साहसिक क्रियाकलापों, जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाईंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस आदि का संचालन करने के लिए अधिनियम के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है/हैं;
- (ज) “प्रचालन” (आपरेशन) से विविध साहसिक क्रियाकलापों के लिए की जाने वाली आमोद-यात्रा (ट्रिप) या इसके संचालन के लिए कोई कार्य अभिप्रेत है ;
- (झ) “सहभागी” से ऐसा/एसे व्यक्ति अभिप्रेत है/हैं जो विविध साहसिक क्रियाकलापों में सहभागी होता है / होते हैं ;
- (ञ) “सोसाइटी” से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

- (ट) इन नियमों के प्रयोजन के लिए “उपयुक्त काल (सीजन)” से 15 जुलाई से 15 सितम्बर तक की अवधि, जिसके दौरान कोई भी रिवर क्रॉसिंग क्रियाकलाप अनुज्ञात किए/करवाए नहीं जाएंगे को अपवर्जित करके सम्पूर्ण वर्ष अभिप्रेत है; किन्तु लाहौल एवं स्पिति जिला में 15 जुलाई से 15 सितम्बर की अवधि के दौरान रिवर क्रॉसिंग क्रियाकलाप अनुज्ञात किए जा सकेंगे यदि मौसम अनुकूल हो
- (ठ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
- (ड) “तकनीकी समिति” से नियम 8 के अधीन आयुक्त द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है।
- (2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय-2

रजिस्ट्रीकरण

- 3 विविध साहसिक क्रियाकलापों के ऑपरेटर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.— (1) विविध साहसिक क्रियाकलापों के रूप में कार्य करने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, आगामी सीजन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रथम जनवरी से पन्द्रह मार्च तक विहित प्राधिकारी के पक्ष में 2000/-रुपए के मांगदेय ड्राफ्ट सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप -1 में विहित प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। विहित प्राधिकारी इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की प्रारम्भ में जांच करेगा और उन्हें तकनीकी समिति के समक्ष रखेगा जो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से पूर्व बैठक आयोजित करेगी और दस्तावेजों की संवीक्षा करने तथा उपस्करों का निरीक्षण करने गाइडों / अनुदेशकों की / का व्यावहारिक परीक्षा / शारीरिक परीक्षण संचालित करने और अन्तिम अनुमोदन प्रदान करने के लिए, समस्त अर्हित ऑपरेटरों को कम से कम 15 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर तारीख, समय और स्थान नियत करेगी।
- (2) सीजन के मध्य किसी भी ऑपरेटर को विविध साहसिक क्रियाकलाप संचालित करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (3) यथास्थिति, ऑपरेटर (ऑपरेटरों) या गोइड (गाइडों) या अनुदेशक (अनुदेशकों) या

सासाइटी (सासाइटीया), जिनका स्थानीय कार्यालय है और जिनका सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है, को अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(4) विहित प्राधिकारी, तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् सम्बद्ध ऑपरेटर को प्ररूप -3 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(5) विविध साहसिक क्रियाकलाप चलाने के लिए रजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर से भिन्न किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई प्रचालन करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि तकनीकी समिति का समाधान नहीं हो जाता कि ऑपरेटर के पास समस्त उपस्कर हैं और वह इन नियमों के अधीन अन्य अपेक्षाओं को पूर्ण करता है तथा उसका प्रस्ताव तकनीकी समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किया गया है / स्वीकृत (मंजूर) किया गया है।

4 अर्हताएं- (1) किसी भी ऑपरेटर को विविध साहसिक क्रियाकलापों का प्रचालन करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अर्हित गाइड/अनुदेशक न हों, और जब तक जिन्होंने सम्बद्ध क्रियाकलाप में कम से कम दो वर्ष के अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों के साथ अच्छे ट्रेक रिकार्ड सहित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी या जवाहर पर्वतारोहण शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शनज का कोर्स न किया हो।

(2) किसी भी ऑपरेटर को स्कीईंग का प्रचालन करना तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास अर्हित गाइड / अनुदेशक न हों और जब तक जिन्होंने सम्बद्ध क्रियाकलापों में कम से कम दो वर्ष के अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों के साथ अच्छे ट्रेक रिकार्ड सहित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश या भारतीय स्कीईंग और पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग या गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, औली या जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथड ऑफ इन्स्ट्रक्शनज (स्कीईंग) का कोर्स न किया हो।

(3) किसी ऑपरेटर, जिसने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से सम्बद्ध क्रियाकलाप में एडवान्स कोर्स किया है, को विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए इस रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

5 विविध साहसिक क्रियाकलापों / फन पाकों के लिए आवेदन करने / रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षा- संप्रवर्तक, जो आवेदन करने का आशय रखते हों, अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करेंगे,-

(i) समस्त प्रकार के सम्बद्ध विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए बिल सहित उपस्कर का प्रकार, मेक तथा मॉडल। उपस्कर, प्रमाणन करने वाले अभिकरणों जैसे इण्टरनेशनल क्लार्इबिंग एण्ड मारुण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनयन इन्टेनैशनल डेस असोसिएशन डी' एलपनिज्म) कमेटी ऑफ यूरोपियन नार्मज (सी.ई.एन.), भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या इण्टरनेशनल ऑरगेनाइजेशन फॉर स्टैण्डराइजेशन (आई.एस.ओ.) द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(ii) डिजाइन/भार वहन क्षमता, आयुष्य और इसके सुरक्षित प्रचालन के लिए कितने समय में मरम्मत अपेक्षित है। राइडज / उपस्करों को स्थापित करने की अनुज्ञा के पश्चात् सम्बद्ध आवेदक या संप्रवर्तक तकनीकी समिति से अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगा। कोई भी फन पार्क तब तक जनसाधारण के लिए नहीं खोला जाएगा जब तक कि इसे तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृति (मंजूरी) न दे दी गई हो, और

(iii) तकनीकी समिति द्वारा उपस्कर का त्रैमासिक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा और समिति को क्रियाकलापों के अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश देने की शक्तियां होंगी। यदि वांछित सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण नहीं होते हैं तो समिति इसके स्थायी रूप से बन्द करने की सिफारिश कर सकेगी।

6 गाइड /अनुदेशक का रजिस्ट्रीकरण.— (1) गाइड या अनुदेशक के रूप में विविध साहसिक क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) में सहभागी होने का आशय रखने वाला कोई व्यक्ति, विहित दस्तावेजों / और विहित प्राधिकारी के पक्ष में केवल 2000/- रूपए (दो हजार रूपए) के मांगदेय ड्राफ्ट सहित रजिस्ट्रीकरण के लिए विहित प्राधिकारी को प्ररूप-2 में आवेदन करेगा। सम्बद्ध क्षेत्र का विहित प्राधिकारी अपना पूर्णतया यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित अर्हताओं और मानदण्डों को पूर्ण करता है और उसके आवेदन की तकनीकी समिति ने भी सिफारिश की है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो इसके जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(2) विहित प्राधिकारी, विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ई-मेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार कर सकेगा और ई-मेल के माध्यम से अभिस्वीकृति दे सकेगा और यदि उसका आवेदन अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित समस्त प्रकार से पूर्ण है तो उसे विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। विहित प्राधिकारी, ई-मेल के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने की दशा में, नियम-3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को जारी करते समय रजिस्ट्रीकरण फीस स्वीकार कर सकेगा।

7 गाइड/अनुदेशक के लिए अर्हता.— (1) गाइड/अनुदेशक की आयु इक्कीस वर्ष अवश्य होनी चाहिए और चिकित्सा अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित चिकित्सक दृष्टया योग्य होना चाहिए। उसके पास सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वैध बुनियादी फर्स्ट एंड और कार्डियो पल्मनेरी

रिससिटेशन (सी.पी.आर.) या इसके समतुल्य प्रमाणपत्र अवश्य हाना चाहिए। उसमें हिन्दी और अंग्रेजी में विचार आदान-प्रदान करने की अच्छी दक्षता होनी चाहिए।

(2) विविध साहसिक क्रियाकलाप के लिए अनुदेशक ने भारत में किसी रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त पर्वतारोहण संस्थान जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली, हिमाचल प्रदेश या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान या देश से बाहर के किसी संस्थान से पर्वतारोहण में अर्हित मेथडज ऑफ इन्स्ट्रक्शनज कोर्स या इसके समतुल्य कोर्स किया हो तथा स्कीईंग के साहसिक क्रियाकलाप के लिए अटल बिहारी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान मनाली, हिमाचल प्रदेश या भारतीय स्कीईंग और पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग या गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, औली या जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान, पहलगाम या किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य संस्थान से मेथडज ऑफ इन्स्ट्रक्शनज कोर्स (स्कीईंग) अर्हित करने सहित सम्बद्ध क्रियाकलाप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव और अपेक्षित मानदण्डों सहित अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

६ तकनीकी समिति का गठन— आयुक्त, विविध साहसिक क्रियाकलापों जैसे रैपेलिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्कीईंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हॉट एअर बैलूनिंग, जोरबिंग बॉल्ज, रोलिंग बॉल्ज, वाटर बॉल्ज, बंजी जंपिंग और जिपलाइन/फ्लाइंग फॉक्स, जॉय राईडज/फन पार्कस आदि का संचालन करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, किसी क्षेत्र के लिए, तकनीकी समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- | | | |
|--------|--|-----------|
| (i) | निदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली या उसका प्रतिनिधि | अध्यक्ष, |
| (ii) | सम्बद्ध क्षेत्र का उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (iii) | सम्बद्ध क्षेत्र का उप पुलिस अधीक्षक | सदस्य, |
| (iv) | सम्बद्ध क्षेत्र का वन मण्डल अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (v) | सम्बद्ध क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| (vi) | अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और खेल संस्थान, मनाली का अनुदेशक या उसका प्रतिनिधि | सदस्य, |
| | का एक सदस्य और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत साहसिक क्रियाकलाप से एक सदस्य या कोई सुविज्ञ (जानकार सदस्य)} | |
| (viii) | हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल) | सदस्य, और |

- (ix) उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी सचिव। अनुपस्थिति में सम्बद्ध क्षेत्र का सहायक पर्यटन विकास अधिकारी

9 तकनीकी समिति के कृत्य - तकनीकी समिति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी,-

- (i) नियम 3 और 4 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑपरेटर द्वारा रखे गए उपस्कर का निरीक्षण करने और उसको प्रमाणित करने ;
- (ii) ऑपरेटर (ऑपरेटरों) और गाइड (गाइडों) / अनुदेशक (अनुदेशकों) के जीवन-वृत्त की जांच करने और उनकी सुविज्ञता (निपुणता) अभिनिश्चित करने के आशय से उनका शारीरिक परीक्षण करवाना और ऐसा करके ऑपरेटरों के साथ-साथ दोनों गाइड (गाइडों) / अनुदेशक (अनुदेशकों) को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अनुमोदन करने ;
- (iii) ऑपरेटर गाइड और अनुदेशक इन नियमों में उपदर्शित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा / करेंगे ;
- (iv) राज्य में विविध साहसिक क्रियाकलापों का प्रचालन करने के लिए नए स्थलों, नदियां, स्थानों और क्षेत्रों, जहां सुरक्षित रूप से प्रचालन किए जा सकते हैं, की पहचान करने ;
- (v) विविध साहसिक क्रियाकलापों के रूप में अन्य खेलों / क्रियाकलापों की पहचान करने और उनको अधिसूचित करने की संस्तुति करने ;
- (vi) रैपेलिंग / रिवर क्रॉसिंग, आश्रय बोल्ट (एन्करिज बोल्ट) और अन्य कृत्रिम जुड़नार (जुड़ाव की वस्तुओं) और उपस्कर का निरीक्षण करने और उनको प्रमाणित करने ;
- (vii) विहित प्राधिकारी द्वारा पर्यटकों / सहभागियों से प्रभारित की जाने वाली फीस की संस्तुति करने ;
- (viii) समय-समय पर नियमों में वर्णित विविध साहसिक क्रियाकलापों के सुरक्षित संचालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त और परामर्श (जानकारी) यदि कोई हो, जारी करने / देने ;
- (ix) ऑपरेटर (ऑपरेटरों) / गाइड (गाइडों) / और अनुदेशकों की

- (x) क्षेत्र के लिए वहन (परिवहन) क्षमता नियत करने ; और
- (xi) विविध साहसिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए सही विस्तार क्षेत्र (स्ट्रेचिज) और स्थानों को अधिसूचित करने।

10 विनियामक समिति का गठन और इसके कृत्य.— आयुक्त (पर्यटन), अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक स्थल, नदी और प्रचालन क्षेत्र के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से समाविष्ट, एक विनियामक समिति का गठन करेगा, अर्थात् :-

(i)	सम्बद्ध जिला का उपायुक्त	अध्यक्ष,
(ii)	सम्बद्ध जिला का पुलिस अधीक्षक	सदस्य,
(iii)	सम्बद्ध क्षेत्र का उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सदस्य,
(iv)	सम्बद्ध क्षेत्र का आदेशक गृह रक्षा	सदस्य,
(v)	सम्बद्ध क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उसका प्रतिनिधि	सदस्य,
(vi)	अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली का प्रतिनिधि	सदस्य,
(vii)	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र का अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल)	सदस्य, और
(viii)	उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी और उसकी अनुपस्थिति में सहायक जिला पर्यटन और विकास अधिकारी	सदस्य सचिव।

11 विनियामक समिति के कृत्य.— विनियामक समिति निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी,—

- (i) विनियामक समिति, सम्बद्ध जिला के विविध साहसिक क्रियाकलापों के संगमों, यदि कोई हैं, की सहायता से क्षेत्र में प्रचालनों को विनियमित करने के लिए सम्पूर्ण नियन्त्रण रखेगी;
- (ii) विनियामक समिति प्रचालनों के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों का अनुसरण किया जा रहा है, औचक निरीक्षण करेगी; और
- (iii) विनियामक समिति को सरकार द्वारा विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन के सम्बन्ध में कोई अन्य कृत्य सौंपा जा सकेगा।

अध्याय-3
सुरक्षा उपाय

12 विविध साहसिक क्रियाकलाप के प्रचालनों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपस्कर- प्रत्येक ऑपरेटर को प्रचालन का कार्यान्वयन अनुज्ञात करने से पूर्व उसे निम्नलिखित उपस्कर (उपस्करों) की व्यवस्था करनी होगी। तकनीकी समिति उपस्कर (उपस्करों) की प्रत्येक मद (वस्तु) की जाँच करेगी और उसे सम्बद्ध क्षेत्र के उप-निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास अधिकारी के माध्यम से स्टांपित करवाएगी, अर्थात्:-

(i) रैपेलिंग :

- (क) स्टान्स अच्छी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए ;
- (ख) स्वच्छन्द संचलन के लिए स्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ;
- (ग) उतरने के स्थल पर पर्याप्त स्थान होना चाहिए ;
- (घ) प्राथमिक उपचार पेटिका (फर्स्ट एड बाक्स) हर समय उपलब्ध होनी चाहिए;
- (ङ) क्षेत्र, पत्थर / गिरने वाले शिला खण्ड एवं असंहत पत्थर रहित होना चाहिए ; और
- (च) मानक उपस्कर, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस) या अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्मित, मॉडल, विनिर्माण करने के वर्ष, क्रय का वर्ष और अन्य तकनीकी विनिर्देशन वाला होना चाहिए। मानक उपस्कर निम्नलिखित विनिर्देशन का होना चाहिए :-

➤ क्लाइबिंग रोप:-

- व्यास 10 से 11 मिलीमीटर।
- लम्बाई में 120 से 140 फुट।
- केरनामेण्टल रोप।
- न्यूनतम 800 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनल डेस एसोसिएशन डी एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

➤ रैपेलिंग रोप :

- व्यास 8 से 10 मिलीमीटर।

- करनामेण्टल रोप।
- न्यूनतम 600 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ (इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो)।

➤ केराबीनीर:-

- स्कू गेट सहित जिरकाल एलॉए।
- 3000 किलाग्राम क्षमता।
- इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

➤ रैपेलिंग हीट हारनेस :-

- समायोज्य।
- गद्देदार नायलॉन सामग्री।
- इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

➤ दस्ताने:-

- तनने वाले नॉयलॉन और कैनवास सामग्री (कपड़े) सहित चमड़े की हथेली वाले

➤ जूते

- रबर तलवे वाले

➤ अष्ट आकृति (उतरने के लिए)

- 2500 किलोग्राम ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ से कम न हो।
- इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म) द्वारा प्रमाणित हो।

- ढीले न हों, समुचित रूप से पहनने योग्य हों।

➤ **हेलमेट:-**

- भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या अन्तर्राष्ट्रीय मानक ।
- स्ट्रैप सहित, किसी रिसाव या किसी भाग की क्षति रहित, अच्छी स्थिति में अवश्य होना चाहिए।

(ii) **रिवर क्रॉसिंग / जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स:-**

(क) जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स के लिए दो रीतियां अर्थात् फ्लाईंग फॉक्स या टाइरोलीन पारगमन उपयोग में लाई जाती हैं। रस्सियां (रोपस), केरावाइनर्ज पुली / घिरनी तथा सीट हार्नेस सुरक्षित रूप से नदी पार करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स के लिए (नदी के ऊपर किनारों पर जोड़ी गई रस्सियां (रोपस)) इण्टरनेशनल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म), भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई.एस.) / अन्तर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह वाले मानक के अनुसार केवल स्थिर कबला रस्सी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यात्रियों / साहसिक कार्य प्रेमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु पुली घिरनी खूँटी वाली रस्सी सहित इण्टरनेशनेल क्लाइबिंग एण्ड माउण्टेनेरिंग फेडरेशन (यूनियन इण्टरनेशनेल डेस एसोसिएशन डी' एल्पनिज्म), ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स (बी. आई.एस.) / अन्तर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह वाली वृहत्तर आकार की होनी चाहिए। हेलमेट (टोप) अनिवार्य हैं जो किसी संभाव्य घटना की दशा में सिर को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। नदी के दोनो किनारों पर स्थिरक (एकरज), चाहे कृत्रिम हो या प्राकृतिक, ठोस और अभेद्य होने चाहिए। व्यास की एक अतिरिक्त फाईबर कोर स्टील तार की रस्सी, जिसे फैलाव (विस्तार) और ले जाए जाने वाले भार के आधार पर सुरक्षा उपाय के रूप में चयनित किया जा सकेगा, होनी चाहिए। नदी पार करने वाला व्यक्ति इस तार के साथ बंधा होना चाहिए जो एक सुरक्षा उपाय के रूप में भी कार्य करेगी। अतिरिक्त स्टील तार रस्सी, जिसका फाईबर कोर न्यूनतम 12 मिलीमीटर व्यास का 6 x 19 (12/6/1) या 6 x 37 (18/12/6/1) का बना हो, भी उपलब्ध करवाया जाना

- ऍंगकरिज ब्लाक गोल आधार वाले गर्डर सहित न्यूनतम 1.5 X 1 X 1 मीटर सी.सी (1 : 2 : 4) के आकार वाले भूमिगत बनाए जाने चाहिए।
- आधार, ऍंगकरिज ब्लाक से न्यूनतम 2 मीटर आगे होना चाहिए।
- अतिरिक्त रस्सियों को नियंत्रित करने के लिए सुसंगत भारतीय मानक कोड के सदृश न्यूनतम 8 नम्बर यू शिकंजो (कलैप) की व्यवस्था की जाए।
- समस्त पुलियां (घिरनियां) सुसंगत भारतीय मानक कोड के सदृश और नरम स्टील की बनी होनी चाहिए।
- उपलब्ध करवाई गई सिटकनियां (बोल्टस) उच्च लचीले (एच.टी.) ग्रेड की होनी चाहिए।
- नदी पार करने के कार्यकलापों में भाग लेते समय सभी गाइडों / सहभागियों के पास हर समय जीवन रक्षक जैकेटें होनी चाहिए। जैकेट की पर्याप्त उत्प्लावकता (न्यूनतम 8.14 किलोग्राम और अधिमान्य 9-10 किलोग्राम वाली होनी चाहिए) उचित प्रकार की आरामदेह फीतों आदि से युक्त व्यवस्था सहित (यू0एस0 कोस्ट गार्ड टाइप-III या V / यूरोपियन मानक समिति (सी.ई.एन.) / भारतीय मानक ब्यूरो संगठन (आई.एस.ओ.) वाली अवश्य होनी चाहिए और जीवन रक्षक जैकेट ठीक प्रकार से पहनी जानी चाहिए। फुलाने योग्य जीवन रक्षक जैकेट और की होल टाइप की जीवन रक्षक जैकेट अनुज्ञात नहीं की जानी चाहिए। गाइडों को यह अवश्य सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व जीवन रक्षक जैकेटें सुरक्षित रीति से कसकर बांधी गई हैं।
- हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जू मार्ग अधिनियम, 1968 के सुसंगत उपबन्धों का सर्वथा पालन करना होगा।

(iii)

बंजी जंपिंग:-

➤ अनिवार्य अपेक्षा- जम्प लाइन के सभी पार्ट दोहरे

संयोजन से कूदने वाले (जम्पर) और रेखा (लाइन) के दूसरे अंतिम किनारे पर अवसंरचना के संयोजक तक हो। सामान्यतः कूदने वाले का एक संयोजन टखने के फीतों से और दूसरा शरीर या गद्दी के कवच (सीट हारनेस) के साथ होना चाहिए।

- उपस्कर:- बी एण्ड यू एल कवच (हारनेस), कारबाइनरज अच्छी बनावट वाले और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने चाहिए। प्रतिष्ठित प्रदायक से पर्वतारोहण उपस्कर समुचित है और कारबाइनरज स्कू गेट टाइप के होने चाहिए।
- गुथी हुई रस्सियां:- कम से कम दो गुथी हुई रस्सियां उपयोग की जानी चाहिए और कूदने वाले के वजन से मेल खाती हों, वे भारी कार्य गुथी हुई रबर डोर या समरूप मानक प्रमाण बी. एस. 3 एफ 701991 विनिर्देशन वाली होनी चाहिए।
- बिना गुथी रस्सियां:- सामान्यतः एक बिना गुथी रस्सी पर्याप्त है क्योंकि इसकी संरचना में अन्तर्निहित प्रचुरता के कारण लगभग एक हजार व्यक्ति इकट्ठे रवाना होने के लिए खड़े होते हैं। प्रत्येक रस्सी किसी स्वतन्त्र प्राप्तिस्थान (स्रोत) के परीक्षक से प्रमाणित होनी चाहिए और उसे कूदने वाले के वजन के अनुसार चुना जाना चाहिए।
- रस्सी लॉग बुक्स:- ऐसी लॉग बुक्स रखी जानी चाहिए, जिनमें अधिकतम भार, उचित प्रशिक्षण सूची का वर्णन हो जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि कैसे कोई व्यक्ति सक्षमता के एक स्तर से अगले स्तर तक प्रगति करता है।
- सम्पूर्ण प्रभारी व्यक्ति:- सम्पूर्ण प्रभारी व्यक्ति को स्थल पर सूक्ष्म निरीक्षण रखना चाहिए। दर्शकों को, उनकी सुरक्षा के लिए और प्रचालकों की अन्यमनस्कता को निवारित करने के लिए, कूदने के स्थान (जंप-जोन) से वर्जित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- कोई भी प्रभारी इसके साथ सुरक्षित रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। विशेषतयः दर्शक द्वारा तेरह वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सवारी करना हत्तोसाहित किया जाना चाहिए।
- दिन प्रारम्भ होने पर इसकी सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी लाइन का डेड वेट ड्राप टेस्ट होना चाहिए।

(iv)

हॉट एअर बैलूनिंग:- जहाँ किसी प्रकार के एअरक्राफ्ट, बैलून, ग्लाइडर आदि के साहसिक क्रियाकलाप आयोजित किए जाने हैं, के लिए महानिदेशक नागरिक विमानन (डी.जी.सी.ए.) से समुचित मंजूरी (स्वीकृति) अवश्य प्राप्त की जानी अपेक्षित है और इण्डियन एअर फोर्स आईडेंटिफिकेशन एजेन्सीज (ए.डी.आई.ए.) की अधिसूचना अनिवार्य है। ऐसे क्रियाकलापों का प्रचालन करने के लिए मंजूरी / अनुज्ञप्ति से पूर्व निम्नलिखित को महत्व दिया जा सकेगा:-

➤ नोटम (एन.ओ.टी.ए.एम):- उड़ान / वायु साहसिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए सम्बद्ध नागरिक विमानन अभिकरणों जैसे डी.जी.सी.ए. को सूचित करना अनिवार्य होगा ताकि उड़ान क्रियाकलापों के सुरक्षित और सुगम संचालन के लिए उड़ान क्रियाकलापों की प्रकृति ज्ञात की जा सके।

➤ एअर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन एजेन्सी (ए.डी.आई.ए.) की मंजूरी (स्वीकृति) :- ऐसे आपरेटरो / उड़ान स्कूलों / वायु साहसिक क्लबों के लिए उनकी उड़ान योजना की सम्बद्ध एअर डिफेंस आईडेंटिफिकेशन एजेन्सी (ए.डी.आई.ए.) को, ऊँचाई, उड़ान की अवधि, प्रचालन के क्षेत्र आदि के लिए वायु सुरक्षा मंजूरी (स्वीकृति), आकाशी पिण्ड की तुरन्त पहचान और उड़ान सुरक्षा के जोखिम के बिना कारगर वायु उड़ान स्थल प्रबन्धन के समस्त ब्यौरों सहित, सूचना देने की अपरिहार्य / अनिवार्य अपेक्षा होगी।

(V)

जॉय राइड्स वाले फन पार्कों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त :- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्रैमासिक आधार पर उपस्करों की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक पृथक् उप-समिति बनाई जाएगी:-

(क) सम्बद्ध उपमण्डल अधिकारी अध्यक्ष
(नागरिक)

(ख) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता (मैकेनिकल) का प्रतिनिधि सदस्य

जो सहायक उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो

(घ) उप-निदेशक, पर्यटन / जिला पर्यटन विकास अधिकारी / सहायक पर्यटन विकास अधिकारी / सदस्य सचिव

(vi) अन्य साहसिक क्रीड़ाएं— पहले से ही विद्यमान राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड लागू होंगे।

(vii) परिचयकरण दौड़े— प्रत्येक मौसम या नई नदियों/स्थलों पर वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व एक या दो परिचयकरण दौड़ों की सिफारिश की जाती है। नदियां वाणिज्यिक रूप से बाढ़ के स्तर पर नहीं बह रही होनी चाहिए।

13. प्रचालन के दौरान चिकित्सा प्रसुविधाएं और अन्य प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाना — प्रचालक, प्रत्येक प्रचालन के दौरान कम से कम त्रिकोणीय पट्टियों, जीवाणुशून्य पैडज, गॉज रॉलर पट्टियों, दबाव वाली पट्टियों, प्राथमिक उपचार चिपकने वाली पट्टियों, खपचियों, कैंचियों से सुसज्जित दो प्राथमिक उपचार किटें साथ रखेगा।

14. प्रचालक के कर्तव्य.— प्रचालक का यह कर्तव्य होगा कि,—

- (i) वह समस्त घटनाओं/दुर्घटनाओं के बारे में सम्बद्ध संगम / सम्बद्ध जिला प्रशासन / अध्यक्ष सम्बद्ध तकनीकी समिति / उप-निदेशक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन या जिला पर्यटन विकास अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट करे ;
- (ii) वह यह सुनिश्चित करे कि कार्यकलाप सूर्य छिपने से एक घण्टा पूर्व या सांय 6:00 बजे से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएं ;
- (iii) वह रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए उपस्कर के विनिर्देशन सहित प्राप्त किए गए उपस्कर के विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध करवाए। इस दस्तावेज के अभाव में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए प्रचालक को न विचारे ;
- (iv) वह पर्यावरण को स्वच्छ रखे ;

- (v) यह प्रयालक्ष्य कि उत्तरदायकता हाथ में आने पर (सहभागियों) इन नियमों में अधिकथित मानदण्डों को सर्वथा पालन करे ;
- (vi) वह विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रारम्भ से पूर्व भाग लेने वाले (सहभागियों) के लिए न्यूनतम 2.00 लाख रूपए का बीमा सुनिश्चित करे;
- (vii) वह इन नियमों में विहित प्ररूप में अतिथि / आगुन्तक रजिस्टर का अनुरक्षण करे और उसे अपने पास रखे ;
- (viii) वह प्रयुक्त उपस्करों और सहभागियों के नाम की प्रविष्टि के लिए उप-निदेशक पर्यटन / जिला पर्यटन विकास अधिकारी / सहायक पर्यटन विकास अधिकारी या उसके द्वारा सम्बद्ध जिला के प्राधिकृत अधिकारी / पदधारी द्वारा प्रमाणित सम्यक् रूप से दोहरे नम्बर से (डूप्लीकेट) संख्याकित बिल बुक / लॉग बुक को अनुरक्षित रखे। सम्प्रवर्तक द्वारा उपस्कर के निरीक्षण, इसकी सफाई-धुलाई, मरम्मत और बदलने आदि के व्यौरों की बाबत लॉग बुक को प्रतिदिन बनाए रखा जाना चाहिए ;
- (ix) वह स्वागत काउण्टर पर एक शिकायत / सुझाव पुस्तिका का अनुरक्षण करे और उसे अपने पास रखे ;
- (x) वह संदाये / अग्रिमों की प्राप्ति के लिए सम्यक् रूप से दोहरे नम्बर (डूप्लीकेट) से संख्याकित रसीद बुक का अनुरक्षण करे;
- (xi) वह बिल बनाए और कम्प्यूटर पर अभिलेख का अनुरक्षण करे तथा उसकी एक सॉफ्ट प्रति अभिलेख और निरीक्षण हेतु रखे ;
- (xii) वह विहित प्राधिकारी या उसके प्रतिनिधि द्वारा समस्त बिल पुस्तकों और रजिस्ट्रों को सम्यक् रूप से सत्यापित करवाए ;
- (xiii) वह प्ररूप 4 के अनुसार सरकार को क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत करे ; और
- (xiv) वह प्ररूप 5 के अनुसार भागीदार से बंध पत्र प्राप्त करे ।
15. रजिस्ट्रीकरण फीस और उपयोक्ता फीस (यूजर्ज फीस) का संग्रहण - प्रचालक, प्रचालन प्रारम्भ करने से पूर्व निम्नलिखित फीस का संदाय करेगा / करेंगे,-
- (i) उपयोक्ता फीस (यूजर्ज फीस) 1500/- रूपए प्रतिवर्ष ; और
- (ii) प्रति गाइड/अनुदेशक फीस 1000/- रूपए प्रतिवर्ष ।

16. उप-मण्डल स्तर पर, उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के नाम और अभिनाम से संगम बनाना.- आयुक्त, निम्नलिखित में से सरकार के दो नामनिर्देशितीयों को सम्मिलित करके प्रत्येक उप-मण्डल के लिए उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के नाम और अभिनाम से उप-मण्डल स्तर पर एक संगम बना सकेगा,-

- | | | |
|-------|---|----------------|
| (i) | सम्बद्ध उप-मण्डल का उप मण्डल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार | अध्यक्ष ; |
| (ii) | सम्बद्ध उप-मण्डल का उप पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो | सदस्य ; |
| (iii) | जिला पर्यटन विकास अधिकारी या सहायक पर्यटन विकास अधिकारी | सदस्य सचिव; और |

अन्य सदस्य इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रचालकों में से लिए जाएंगे। उपर्युक्त संगम के सदस्य बनने के लिए समस्त प्रचालकों को इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य होगा।

17. उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम के कृत्य.- उप मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम सुनिश्चित करेगा कि,-

- (i) समस्त विविध साहसिक क्रियाकलापों का संचालन निर्विघ्न, सुरक्षित और सुविधाजनक रूप में हो ;
- (ii) उप-मण्डल विविध साहसिक क्रियाकलाप संगम एक स्वतः विनियामक निकाय के रूप में कार्य करे ;
- (iii) सहभागियों के समुचित मार्गदर्शन के लिए हर समय सुरक्षा मानदण्डों का पालन हो रहा है;
- (iv) शास्ति अधिरोपित करने सहित व्यतिक्रमियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई हो ;
- (v) किसी दुर्घटना की दशा में, विविध साहसिक क्रियाकलाप के पर्यटकों /सहभागियों को चिकित्सा प्राथमिक उपचार सहित हर सम्भव सहायता और सहयोग प्राप्त हो ;

- (vi) आपातकाल की दशा में समय पर एम्बुलेंस, चिकित्सा प्रसुविधा और दुर्घटना (दुर्घटनाओं) से बचाव की व्यवस्था हो ;
- (vii) हर समय तकनीकी समिति और विनियामक समिति के साथ समुचित सम्पर्क बनाए रखा जाए ;
- (viii) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए तकनीकी समिति और विनियामक समिति को हर सम्भव सहयोग (सहायता) उपलब्ध हो; और
- (ix) प्रचालकों, अनुदेशकों, गाइडों और विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन में लगे अन्य सम्बद्ध कर्मचारिवृन्द का कल्याण सुनिश्चित हो।

(नररुड 3(1) देखें)

वररररर साहसररर कुररररररररर ऑडररररर के रररररररररर के लरर आररररर

सररर रें,

ररर-नरररररर,
(वरररर रररररररर)
डरररररर ररर नरगररर उडुडरर,

हरररररर ररररर।

डररररर,

नरररररर रें कुरर डुररर / हररें हरररररर ररररर ररररररर कुररररररररर ऑडररररर नरररर, 2017 के अधीनडरररररर रें वररररररर कुररररररररर ऑडरररररर(ररर) के ररर डें ररररररररर कुररर आर। इस डुरररररर के लरर अपेकुरर वररररररररर नरररर ररररर रें रें:-

1. आरररररर कुर-नरर
2. ररररररररर
3. रररररर ररर
4. डुरररररर रेंरु ररर
5. कुरर आने वरले कुरररररररररर को उडरररररर कुरर:-

- (i) रररर कुरररररर
- (ii) ऑरररररर ररर
- (iii) ऑरर ऐऑर रैलूनरर
- (iv) ररररर
- (v) रुरररर
- (vi) ररर कुररररररर(डरररररररर)
- (vii) ररररर ररर / वरररर ररर
- (viii) डंऑी ररररर

(x) जॉय राइड / फन पार्क (आमोद-प्रमोद उद्यान)

6. उपस्करों / मशीनों (मूल बिल / प्रमाण पत्र आदि सहित) का ब्यौरा।
7. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सम्बद्ध क्षेत्र के सहायक अभियन्ता (मैकनिकल) की उपयुक्तता रिपोर्ट (प्रतिलिप संलग्न की जाए)।
8. सम्बन्धित क्षेत्र में (दो वर्ष का) अनुभव प्रमाण पत्र।
9. स्वतः नियोजन, यदि कोई हो।
10. सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस प्रभाव का शपथपत्र कि वह अधिनियम की धारा 29 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन वर्णित कोई निरर्हता नहीं रखता है।

भवदीय,

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

(नियम 6(1) देखें)

विविध साहसिक क्रियाकलापों के प्रचालन में भाग लेने हेतु गाइड / अनुदेशक के
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

उप-निदेशक,
(विहित प्राधिकारी)
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन,

हिमाचल प्रदेश।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर
नियम, 2017 के अधीन पर्यटन क्षेत्र में विविध साहसिक क्रियाकलाप
प्रचालन के लिए गाइड के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाए। इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित
विशिष्टियां निम्न प्रकार से हैं :-

1. आवेदक का नाम
2. जन्मतिथि
3. स्थायी पता
4. पत्राचार हेतु पता
5. किए जाने वाले क्रियाकलापों को उपदर्शित करें:-

- (i) रिवर क्रासइन्ग
- (ii) जॉरबिंग बॉल
- (iii) हॉट ऐअर बैलूनिंग
- (iv) स्कींग
- (v) ट्रेकिंग
- (vi) रॉक क्लाइबिंग(पर्वतारोहण)
- (vii) रोलिंग बॉल / वॉटर बॉल

(VIII) बजा जान्पर

(IX) जिपलाइन / फ्लाईंग फॉक्स

(X) जॉय राइड / फन पार्क (आमोद-प्रमोद उद्यान)

6. रजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर का नाम जिसके साथ सहयुक्त होना है / काम किया जाना है।
7. अनुभव प्रमाण पत्र।
8. शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र।
9. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता प्रमाण पत्र।
10. चरित्र प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाण पत्र।

भवदीय

तारीख:

स्थान:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्ररूप-3

(नियम 4(1) देखें)

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

विविध साहसिक क्रियाकलाप ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

संख्या:.....

तारीख

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी
..... पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री गांव डाकखाना
..... तहसील जिला हिमाचल प्रदेश का स्थायी
निवासी हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 के अधीन
से अवधि के लिए पर्यटन क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किया गया
है ।

उप-निदेशक पर्यटन /
जिला पर्यटन विकास अधिकारी

(विहित प्राधिकारी)

(नियम 14(xiii) देखें)

ऑपरेटर द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र

सेवा में,

उप-निदेशक,
(विहित प्राधिकारी)
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन,
.....हिमाचल प्रदेश।

विषय:- ऑपरेटर द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र।

सब को ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र श्री
निवासी गांव डाकखाना तहसील
..... जिला मैसर्ज का स्वत्वधारी जिसका
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में है, ने समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश
विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 के अधीन उप-निदेशक पर्यटन को
स्थान पर क्रियाकलाप का प्रचालन करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु
निवेदन किया है।

हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक क्रियाकलाप नियम, 2017 की अपेक्षानुसार
ऑपरेटर को, ऑपरेटर/गाइड के साथ -साथ पर्यटक को आपातकाल, दुर्घटना आदि
की दशा में बचाव / चिकित्सा व्ययों पर उपगत किसी लागत से हिमाचल प्रदेश
सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को क्षतिपूर्ति करना अपेक्षित है और
हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे विविध साहसिक क्रियाकलापों के दौरान मृत्यु हो जाने, गंभीर
और मामूली चोटें लगने की दशा में ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक को किसी प्रतिकर को
संदत करने को दायी नहीं होगी;

यह सबको ज्ञात हो कि मैं सुपुत्र निवासी उक्त
अनुज्ञा प्राप्त करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग
को क्षतिपूर्ति करने के लिए यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित कर रहा हूँ और समनुदेशित
करता हूँ कि उक्त प्रसंविदाकार पक्षकारों ने संयुक्ततः और पृथक्तः अपने-अपने हस्ताक्षर
कर दिए हैं और उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिनी ऑपरेटर (सम्बद्ध)

जो इस अनुज्ञा का प्रदान करने पर, इसके अपायकारक, प्रशासनिक और वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, इनकी सम्पदाओं और विधि या साम्या या अन्यथा, जो भी हो, से चल सम्पत्ति सभी समयों पर समस्त कार्रवाईयों, कार्रवाईयों के कारणों, वादों, कार्यवाहियों, लेखों, दावों, और गैंगों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित, प्रतिरक्षित और हानिरहित तथा क्षतिपूरित रखेगा। ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक की आपातकाल / दुर्घटना आदि की दशा में बचाव / चिकित्सा व्ययों आदि के मामलों में नुकसान और कारित प्रभारों और व्ययों के विरुद्ध और से, उक्त व्यक्तियों के कारण मृत्यु हो जाने, गंभीर और मामूली चोटें लगने की दशा में भी हिमाचल प्रदेश सरकार और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश को समस्त की बाबत, जो भी हो, क्षतिपूरित रखेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप श्री सुपुत्र ने
..... तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं / थे।

श्री सुपुत्र निवासी द्वारा
हस्ताक्षरित, मुहरबन्द और परिदत्त किया गया।

साक्षी

(ऑपरेटर के हस्ताक्षर)

1.

(हस्ताक्षर)

नाम

पता

नाम

पता

2.

(हस्ताक्षर)

नाम

पता

स्थान:

तारीख:

(नियम 14(xiv) देखें)

वचनबंध

मुझे सूचित किया गया है और मुझे जानकारी है कि विविध साहसिक क्रियाकलाप खतरनाक हो सकते हैं और इसके अन्तर्गत बहुत से जोखिम और खतरे रहते हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा प्रसुविधाओं के बिना प्राकृतिक शक्ति, दैवी घटना, कठिन मौसम परिस्थितियों में यात्रा के दौरान दुर्घटना के खतरों या बीमारी तक ही सीमित नहीं हैं, और शारीरिक प्रयास जिसके लिए मैं तैयार नहीं हो सकता हूँ और निष्क्रान्त कठिनाईयां जिनसे मुझे क्षति या निःशक्तता हो सकती है, के बारे में मुझे सूचित कर दिया गया है और मुझे इनके तथा अन्य अन्तर्निहित जोखिमों तथा प्रस्तावित यात्रा की जानकारी है और मैं स्वीकारता हूँ कि साहसिक कार्य के आनन्द यात्रा में मेरे भाग लेने (सहभागिता) के कारण घर जैसी सामान्य सुरक्षा और कार्य से परे है।

अतः मैं हिमाचल प्रदेश राज्य और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग को आपातकालीन / दुर्घटना आदि की दशा में बचाव / चिकित्सा व्ययों पर उपगत किसी व्यय से क्षतिपूरित करता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ऑपरेटर, गाइड या पर्यटक को कोई प्रतिकर संदत्त करने के लिए दायी नहीं होगी यदि ऐसे विविध साहसिक क्रियाकलाप में मेरे भाग लेने (सहभागिता) के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या उन्हें गम्भीर या मामूली चोटें लग जाती हैं।

स्थान :
तारीख:
मुहर


हस्ताक्षर.....
सहभागी का नाम.....
पता

आदेश द्वारा,

मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. प्रधान निजी सचिव / सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. उप सचिव, विधि (राजभाषा खण्ड) विधि विभाग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2.
4. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. आयुक्त, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009।
6. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, रिट्ज एनैक्सी, शिमला-171001.
7. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
9. निदेशक, अटल विहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और सहबद्ध खेल संस्थान, मनाली हिमाचल प्रदेश।
10. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि०प्र० शिमला-5 को राजपत्र में (ई-गजट के माध्यम से) प्रकाशन हेतु।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा-1) विधि विभाग, हि०प्र० सचिवालय, शिमला-2
12. समस्त उप निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश।
13. रक्षक नस्ति।


(राजेंद्र नेगी)

उप सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दूर०2621002, ई मेल: tourismbr-hp@nic.in

(Authoritative English text of this Department Notification No TSM.F(1)-3/2013-II dated 27-2-2017 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism and Civil Aviation

No. TSM.F(1)-3/2013-II

Dated: Shimla, the

27-02-2017

NOTIFICATION

WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 19-9-2016 vide Notification No.Tsm.F(1)-3/2013 dated 9-9-2016 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the general public, as required under section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) ;

AND WHEREAS, no objection(s) or suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- 1 **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2017.
- (2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. **Definitions.- (1)** In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context ,-

- (a) **"Act"** means the Himachal Pradesh Adventure Activities Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) ;
- (b) **"Association"** means a society registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 ;
- (c) **"Crew Members"** mean the persons who conduct the Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks including the guides accompanying the operation ;
- (d) **"Form"** means a form appended to these rules;
- (e) **"Instructor"** means a person who, for the purposes of these rules, is qualified and registered as such and accompanies or conducts the operation of Miscellaneous Adventure Activity (s) for its/ their smooth and safe completion.;
- (f) **"Miscellaneous Adventure Activities"** means the adventure activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks, or any other such activity as notified by the Government from time to time ;
- (g) **"Operator"** means an Adventure Activity Operator(s) whether individual, company or an association or society which is registered as such under the Act for carrying out the Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks etc ;
- (h) **"Operation"** means a trip to be undertaken or the act for the conduct of Miscellaneous Adventure Activities ;
- (i) **"Participant"** means the person (s) who participates in Miscellaneous Adventure Activities ;
- (j) **"Society"** means a Co-operative society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 ;

excluding the period from 15th July to 15th September during which no river crossing activities shall be permitted/undertaken; provided that river crossing activities may be permitted in Lahaul & Spiti District during the period from 15th July to 15th September, if the weather conditions permit to do so;

(l) "section" means a section of the Act ; and

(m) "Technical Committee" means the Committee constituted by the Commissioner under rule 8;

(2) All the other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

REGISTRATION

3. Application for registration of Miscellaneous Adventure Activities Operator:
- (1) Any person intending to act as an Miscellaneous Adventure Activities Operator may make an application in form-1 to the prescribed authority for registration alongwith demand draft of Rs.2000/- in favour of prescribed authority for the ensuing season from 1st of January to 15th of March each year. The prescribed authority shall scrutinize the applications, so received, initially and put up the same before the Technical Committee which shall hold the meeting before 15th of April each year and fix date, time and venue for the scrutiny, inspection of the documents and equipments, conducting practical/ physical tests of guides/ instructors and final approval by giving at least 15 days' clear notice to all the qualified operators.
 - (2) No operator shall be permitted to operate Miscellaneous Adventure Activities in the middle of the season.
 - (3) The operator (s) or guide (s) or instructor (s) or societies (s), as the case may be, who have a local office and have at least **two** years' experience in the relevant field shall be registered with the Tourism Department, Himachal Pradesh under the Act.
 - (4) The prescribed authority shall issue a Certificate of Registration in form-3 to the concerned operator after the approval of the Technical Committee for a period of three years from the date of issue.

(5) No person, other than an operator, registered for carrying out the Miscellaneous Adventure Activities shall be permitted to carry on any operation either directly or indirectly unless the Technical Committee is satisfied that the operator has all the equipments and fulfils other requirements under these rules and his proposal has been duly approved/cleared by the Technical Committee.

4. **Qualifications.-** (1) No operator shall be permitted to operate the Miscellaneous Adventure Activities unless he has qualified guides/instructors who have done methods of instruction course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering, Utrakashi or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of two years in concerned activities and with required standards with good track record.

(2) No operator shall be permitted to operate the Skiing unless he has qualified guides/instructors who have done Methods of Instruction (Skiing) course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Indian Institute of Skiing and Mountaineering Gulmarg or Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited, Auli or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of two years in concerned activities and with required standards with good track record.

(3) The operator who has done Advance Course in the concerned activity from any recognized National or State Institute, may be registered as such for Miscellaneous Adventure Activities.

(5) **Requirement for Applying/Registration for Miscellaneous Adventure Activities / Fun Parks .-** The promoters intending to apply shall submit following details with their applications,-

(i) Type, Make, Model of the equipment for all types of Miscellaneous Adventure Activity concerned alongwith bills. The equipment shall be duly certified by the certifying agencies like the International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Committee of European Norms (C.E.N), Bureau of Indian Standards (B.I.S). or International Organisation for Standardisation (ISO);

(ii) design/ load carrying capacity, etc and other details for its safe operation. After permission to install the rides/ equipments, the applicant or promoter concerned shall obtain final inspection report from the Technical Committee. No Fun Park shall be opened to the public unless it is cleared by the Technical Committee; and

(iii) quarterly inspection of the equipment by the Technical Committee shall be mandatory and the Committee shall have the powers to order temporary closure of the activities. If desired safety standards are not met, the Committee may recommend its permanent closure.

6. **Registration of Guide/ Instructor.- (1)** Any person intending to participate in Miscellaneous Adventure Activity (ies) as a guide or an instructor, shall apply to the prescribed authority for registration alongwith prescribed documents/ and a demand draft of Rs. 2000/- (Rs. Two Thousand) only in favour of the prescribed authority in Form-2. After being fully satisfied that the applicant fulfils the requisite qualifications and standard for registration and his application has the recommendations of the Technical Committee, the prescribed authority of the area concerned shall issue a certificate of registration for a period of three years from the date of issue.

(2) The prescribed authority may accept the application for the registration as Miscellaneous Adventure Activities operator through e-mail and acknowledge through e-mail and also register him as Miscellaneous Adventure Activities operator if the application is complete in all respect as required under the Act. In case of acceptance of the application through e-mail, the prescribed authority may accept the registration fee at the time of issuance of the Registration Certificate under rule 3.

7. **Qualification of Guide/ Instructor.- (1)** The guide/ instructor must be 21 years of age and should be medically fit as certified by the Medical Officer. He should also hold a valid basic First Aid and Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR) Certificate or equivalent issued by Medical Officer of the Government Hospital or any recognized institution. He should have good communication skills in Hindi and English.

(2) The instructor for Miscellaneous Adventure Activities should have qualified Methods of instruction course in mountaineering from any registered/recognized Mountaineering Institutes in India i.e. Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling or Nehru Institute of Mountaineering, Utrakashi or any recognized National or State institute or any institute abroad or

Methods of Instruction Course (Skiing) from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, H.P. or Indian Institute of Skiing and Mountaineering, Gulmarg or Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited, Auli or Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pehlgam or any recognized National or State Institute with at least experience of two years in concerned activities and with required standards with good track record.

8. **Constitution of the Technical Committee:** The Commissioner shall, by notification, constitute a Technical Committee for an area for conducting Miscellaneous Adventure Activities like Rappelling, River Crossing, Skiing, Trekking, Rock Climbing, Hot Air Ballooning, Zorbing Balls, Rolling Balls, Water Balls, Bungee Jumping and Zipline/Flying Fox, Joy Rides /Fun Parks etc. which shall consist of the following members, namely:-

- | | | |
|--------|--|------------------|
| (i) | The Director, Atal Bihari Vajpyee Institute of Mountaineering & Allied Sports, Manali. or his representative | Chairman, |
| (ii) | The Sub-Divisional Officer(Civil) of area concerned or his/her representative. | Member, |
| (iii) | The Deputy Superintendent of Police of area concerned | Member, |
| (iv) | Divisional Forest Officer concerned or his/her representative. | Member, |
| (v) | Chief Medical Officer of area concerned or his/her representative. | Member, |
| (vi) | Instructor or representative of , Atal Bihari Vajpyee. Institute of Mountaineering & Allied. Sports, Manali | Member, |
| (vii) | Two members of related Adventure Activities (one member of the association and one member from Concerned registered adventure activity or any Knowledgeable member). | Members, |
| (viii) | Executive Engineer (Mechanical) HPPWD, of the area concerned. | Member, |
| (ix) | Deputy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer
And in his absence Assistant Tourism Development Officer of the area concerned. | Member Secretary |

9. **Functions of the Technical Committee:-** The Technical Committee responsible to,-

- (i) inspect and certify the equipment possessed by the operator from safety point of view as per rules 3 and 4 ;
- (ii) scrutinize the bio data of the operator (s) and guide (s)/ instructor (s) and to conduct their physical tests in order to ascertain their expertise and, by doing so, approve the issue of licence both to the operators as well as guide (s)/ instructor (s);
- (iii) ensure that the operator (s),the guide (s)/and instructor (s) shall follow the procedures indicated in these rules ;
- (iv) identify new sites, rivers, spots and areas for operation of Miscellaneous Adventure Activities in the State, where operations can safely be conducted;
- (v) identify and recommend the notification of other sports/activities as Miscellaneous Adventure Activities;
- (vi) Inspect & certify the artificial anchors for Rappelling, River Crossing, Anchorage bolts & other fixtures and the equipment;
- (vii) recommend the fee to be charged from the tourists/ participants by the prescribed authority ;
- (viii) issue guidelines and advisories, if any, for the safe conduct of the Miscellaneous Adventure Activities mentioned in the rules from time to time;
- (ix) determine the medical fitness of the operator (s)/ guide (s) /and instructors;
- (x) fix the carrying capacity of the area; and
- (xi) notify the exact stretches and places for the conduct of Miscellaneous Adventure Activities.

10 **Constitution of Regulatory Committee and its functions:-**The Commissioner (Tourism) shall, by notification, constitute a Regulatory Committee for each site, river and area of operation, consisting of the following members, namely:

- | | | |
|-------|---|-----------|
| (i) | The Deputy Commissioner of the concerned District | Chairman, |
| (ii) | Superintendent of Police of the concerned District | Member, |
| (iii) | Sub-Divisional Magistrate of the concerned area | Member, |
| (iv) | Commandant Home Guards of the concerned area | Member, |
| (v) | Chief Medical Officer of the concerned District or his representative | Member, |

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| (vi) | Representative of , Atal Bihari Vajpyee
Institute of Mountaineering
and Allied Sports, Manali | Member, |
| (vii) | Executive Engineer (Mechanical), HPPWD, of the
concerned area | Member, |
| (viii) | Deputy Director Tourism & Civil Aviation or
District Tourism Development Officer and in his
absence Assistant Tourism Development Officer | Member
Secretary |

11. Functions of the Regulatory Committee.- The Regulatory Committee shall perform the following functions,-

- (i) the Regulatory Committee shall exercise the overall control for regulating the operations in the area with the assistance of the Miscellaneous Adventure Activities Associations, if any, of the district concerned;
- (ii) the Regulatory Committee may conduct surprise inspections during the operations to ensure that these rules are being followed; and
- (iii) the Regulatory Committee may be entrusted with any other function in relation to Miscellaneous Adventure Activities operation by the Government.

**CHAPTER-III
SAFETY MEASURES**

12. Equipment required for carrying out Miscellaneous Adventure Activities Operations.- Each operator shall arrange the following equipment (s) before he is permitted to carry out the operation. The Technical Committee shall check each item of equipment (s) and get the same stamped through the Deputy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer or Assistant Tourism Development Officer of the area concerned, namely:-

(i) Rappelling:-

- (a) the stance should be well protected;
- (b) the site should have sufficient place for free movement ;
- (c) the landing site should have enough space;
- (d) the First-Aid box to be available all the time;
- (e) the area should be free from stone/ boulder falling & loose stones.; and
- (f) the standard equipment, **Bureau of Indian Standards (BIS)** or **international standard** should have the make, model, year of manufacturing, year of purchase and all other technical specifications. The standard equipment should be of the following specifications:-

➤ Climbing Rope:-

- 10 to 11 mm in diameter.
- 120 to 140 feet in length.
- Kernamantle rope.
- Minimum 800 kg breaking strength (International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified).

➤ Rappelling Rope:-

- 8 to 10 mm in diameter.
- 180 to 200 feet in length.
- Kernamantle rope.
- Minimum 600 kg breaking strength International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified).

➤ Carabineer:-

- Zicral alloy with screw gate.
- 3000 kg strength.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

➤ Rappelling Seat Harness:-

- Adjustable.
- Padded, nylon material.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

➤ Gloves:-

- Leather palmed with stretch nylon and canvass material (cloth).

➤ Foot Wear:-

- Rubber soled.

➤ Figure of Eight (Descender):-

- Not less than 2500 kg breaking strength.
- International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme) certified.

➤ Clothing:-

- Not loose, proper fit.

➤ Helmet:-

- Bureau of Indian Standards (B.I.S) or International Standard.
- With strap, must be in good condition with no leakage or compartment damage.

(ii) River Crossing/ Zipline/ Flying Fox:-

- (a) For Zipline/ Flying Fox two methods are applied i.e. Flying Fox or Tyrolean Traverse. Ropes, carabiners pulley & seat harness play a major role to cross safely. For Zipline/ Flying Fox (ropes attached on the ends above the river) only static cabala rope should be used as per the standard of International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Bureau of Indian Standards (B.I.S), International standard mark. For commercial purpose, the pulley should be of larger size labeling labeling standard of International Climbing and Mountaineering Federation (Union Internationale des Association d'Alpinisme), Bureau of Indian

the tourists/ adventure lovers with a belay rope. Helmet is essential which provides maximum safety to the head in case of any eventuality. Anchors on both sides of the river, either artificial or natural must be solid or bomb proof. One extra fiber core steel wire rope of the diameter which can be selected on the basis of span & load to be carried should be provided as a safety measure. The person crossing the river should be attached to this wire rope also which act as a safety measure. Additional steel wire rope having fiber core of minimum 12 mm diameter of 6 x 19 (12/6/1) construction or 6 x 37 (18/12/6/1) has to be provided. The equipment should be of the following specifications:-

- the anchorage block should be made under ground with minimum size 1.5x1x1 m, C.C. (1:2:4) having anchorage girder with round footing.
- the abutment should be minimum 2 meters ahead of the anchorage block.
- minimum 8 Nos. U-clamps conforming to relevant Indian Standard Code be provided for holding additional rope.
- all pulleys must conform to relevant Indian Standard Code and made of mild steel.
- all bolts provided should be of High Tensile (HT) grade.
- all guides/ participants must have a life jacket on all times while participating in river crossing activity. The life jacket must have adequate buoyancy (minimum of 6.14 kg and preferable 9-10 kg), must be the proper type (U.S. Coast Guard type III or V/Committee of European Norms (C.E.N) / International Organisation for Standardisation (ISO) with a provision of ensuring a snug fit by straps etc. and the life jacket must be worn correctly. Inflatable life jacket and the 'Keyhole' type jackets should not be allowed. Guides must ensure that the life jackets are fastened in a secure manner before the start of trip.
- relevant provisions of Himachal Pradesh aerial Ropeway Act, 1968 are to be adhered to strictly.

(iii) Bungee Jumping:-

- **Essential Requirement.-** All parts of the jump line must be duplicated. This extends from the connection of the bungee to the jumper and the connection to the structure at the other end of the line. Normally the jumper should have an attachment to ankle straps and another to a body or seat harness.

construction and suitable for this use. Mountaineering equipment from reputable suppliers is appropriate and karabiners should be of the screw gate type.

- **Braided Ropes:** - At least 2 braided ropes should be used and matched to the weight of the jumper, they should be to BS 3F 70 1991 specification for heavy duty braided rubber cord, or to a demonstrably similar standard.
- **Unbraided Ropes:** - Normally one unbraided rope is adequate because of the in-built redundancy from its structure of approximately one thousand individual stands bound together. Each rope should have an examiners certificate from an independent source and be selected according to the weight of the jumper.
- **Rope Log Books:** - Should be kept, describing maximum load, a proper training schedule showing how a person progresses from one level of competence to the next.
- **The person in overall charge:** - Should keep close control of the site. Arrangements should be made to exclude spectators from the jump zone for their own safety and to avoid distraction of the operators.
- Anyone in charge should be securely attached to it. Spectator riding especially by children below the age of 13 years should be discouraged.
- There should be a dead-weight drop test of the whole line at the beginning of the day to ensure its integrity.

(iv) **Hot Air Ballooning:** - Adventure activity where any kind of aircraft, balloon, glider etc. is planned needs to have appropriate clearances from Director General of Civil Aviation (DGCA) and necessary notification to Indian Air Force Identification Agencies (ADIA) is mandatory. The following may be emphasized before clearance/ license to operate such activities are issued:-

- **NOTAM:** - to conduct the flying/ air adventure activities it is mandatory to inform the concerned civil aviation agencies such as DGCA so that the nature of the flying activity may be known for safe and smooth conduct of flying activities.
- **Air Defence Identification Agency Clearance:** - There is an inescapable requirement for such operators/ flying schools/ air adventure clubs to intimate their flight plan to concerned Air Defence Identification Agency (ADIA) with all necessary details- height, duration of flight,

identification of the aerial object and effective airspace management without jeopardizing flight safety.

(v) **Guidelines for Fun Parks having Joy Rides:** - For ensuring safety a separate Sub-Committee shall be formed to inspect the equipments on quarterly basis comprising of the following members:-

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (a) | Sub-Divisional Officer (Civil) concerned | Chairman |
| (b) | Representative of Executive Engineer, HPPWD (Mechanical) concerned area. | Member |
| (c) | Representative from Police Department not less than ASI | Member |
| (d) | Deputy Director Tourism /District Tourism Development Officer/Assistant Tourism Development Officer | Member Secretary |

(vi) **Other Adventure Sports:** -Already existing National/ International norms/ guidelines shall be applicable.

(vii) **Familiarization Runs:** - One or two familiarization runs before operating commercially each season or on new rivers/ sites are recommended. Rivers should not be run commercially at flood levels.

13 **Medical facilities and other facilities to be made available during operation.** - The operator during each operation shall carry two well-equipped first aid kits consisting of triangular bandages, sterile pads, gauze roller bandages, pressure bandages, first aid adhesive tape, splints, scissors, as a bare minimum.

14. **Duties of Operator.**- It shall be the duty of the operator,-

- (i) to report all incidents/ accidents immediately to the Association concerned/ District Administration concerned/ Chairman, Technical Committee concerned / Dy Director Tourism & Civil Aviation or District Tourism Development Officer;
- (ii) to ensure that the activities finish one hour before sun set or 6.00 P.M. whichever is earlier;
- (iii) to provide copy of sale letter of the equipment procured alongwith specification of equipment for the purpose of Registration & License. In

purpose of registration;

- (iv) to keep the environment clean;
- (v) It shall be the responsibility of the operator that the participant adhere strictly to the norms laid down in these rules;
- (vi) to insure the participants for minimum Rs. 2.00 lakh before commencing the Miscellaneous Adventure Activity (ies).
- (vii) to maintain and keep a Guest/ Visitor Register in the form prescribed in the Rule;
- (viii) to maintain Bill Book/ Log Book duly numbered in duplicate certified by the Deputy Director Tourism/ DTDO/ ATDO or his authorized officer/ official of the District concerned for entry of equipment used and name of participants shall be maintained. The Log Book should be maintained daily with regard to inspection of the equipment by promoter, its service, repair and detail of replacement etc;
- (ix) to maintain and keep a Complaint/ Suggestion Book at the reception counter;
- (x) to maintain a Receipt Book duly numbered in duplicate for receipt of payments/ advances;
- (xi) to do billing or maintains the record on computer and keep a soft copy of the same for record and inspection;
- (xii) to get all the bill books and registers duly verified by the prescribed authority or its representative;
- (xiii) to submit the Indemnity Bond to the Government as per Form-4; and
- (xiv) to get an undertaking from the participant as per Form-5.

15. Collection of Registration Fee and User Fee.- The operator (s) shall, pay the following fees before commencing the operations;

- (i) User Fee: Rs. 1500/- per year ; and
- (ii) Per Guide/ Instructor Fee : Rs. 1000/- per year.

16 Formation of association at sub divisional level under name and style of Sub Division Miscellaneous Adventure Activities Association.- The Commissioner shall form an association at the Sub Division level with the name and style of Sub Divisional Miscellaneous Adventure Activities Association for each Sub Division involving two nominees of the Government,-

- (i) Sub Divisional Magistrate of the
Sub Division concerned or Tehsildar.

Chairman

Form-1

(See rule 3(1))

Application for Registration of Miscellaneous Adventure Operator

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,
_____, Himachal Pradesh.

Sir,

It is submitted that I/ we may be registered as Miscellaneous Adventure Activities Operator (s) under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017 for _____ tourist area. The particulars required for the purpose are given hereunder: -

1. Name of the applicant _____
2. Date of birth _____
3. Permanent address _____

4. Address for the correspondence _____

5. Indicate the activities to be taken: -
 - (i) River Crossing
 - (ii) Zorbing Ball
 - (iii) Hot Air Ballooning
 - (iv) Skiing
 - (v) Trekking
 - (vi) Rock Climbing
 - (vii) Rolling Balls/ Water Balls
 - (viii) Bungee Jumping
 - (ix) Zipline/ Flying Fox
 - (x) Joy Rides/ Fun Parks

7. Fitness report of the Assistant Engineer, HP. PWD (Mechanical) of the area concerned (copy to be enclosed).
8. Experience certificate (one year) in the field.
9. Self employment, if any.
10. Affidavit, duly attested to the effect that he/she does not possess any disqualification mentioned under clause (b) and (c) of section 29 of the Act.

Yours faithfully,

Signature of the applicant

Name _____

Address _____

Dated: _____

Place: _____

Form-2

(See rule 6(1))

Application for Registrations of Guide/ Instructor for participation in operation of Miscellaneous Adventure Activities.

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,

Himachal Pradesh.

Sir,

I may request that I may be registered as a guide for operation of Miscellaneous Adventure Activities under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure Activities Rules 2017 for _____ tourist area. The particulars required for the purpose are given here under: -

1. Name of the applicant _____
2. Date of birth _____
3. Permanent address _____
4. Address for the correspondence _____
5. Indicate the activities to be taken: -
 - (i) River Crossing
 - (ii) Zorbing Ball
 - (iii) Hot Air Ballooning
 - (iv) Skiing
 - (v) Trekking
 - (vi) Rock Climbing
 - (vii) Rolling Balls/ Water Balls
 - (viii) Bungee Jumping
 - (ix) Zipline/ Flying Fox
 - (x) Joy Rides/ Fun Parks
6. Name of the registered operator with whom to be associated/ to be worked with.

7. Experience certificate.
8. Educational Qualification Certificates
9. Medical Fitness Certificate
10. Character Certificate & Residential Proff

Yours faithfully,

Signature of the applicant

Name _____

Address _____

Date: _____

Place: _____

Form-3

(See rule 4 (1))

Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation

Certificate of Registration

of

Miscellaneous Adventure Activities Operator

No. _____

Dated: _____

This is to certify that Mr./ Sh. /Smt./ Kumari _____ Son/ Wife/ Daughter
of Sh. _____, permanent resident of Village _____ P.O.
_____, Tehsil _____, District _____, Himachal
Pradesh has been registered under the Himachal Pradesh Miscellaneous Adventure
Activities Rules, 2017 in _____ tourist area for the period w.e.f.
_____ to _____

Deputy Director Tourism/ DTDO

(Prescribed Authority)

Form-4

(See rule 14(xiii))

Indemnity Bond by the Operator

To

The Deputy Director,
(Prescribed Authority)
Tourism & Civil Aviation,

Himachal Pradesh.

Subject: Indemnity Bond by the Operator.

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS shall come, I, _____ S/o.
_____ R/o. Village _____, P.O. _____, Tehsil
_____, District _____ proprietor of M/s.
_____, having its registered office at _____ have
approached to the Deputy Director, Tourism under H.P. Miscellaneous Adventure
Activities Rules, 2017 as amended from time to time, to grant permission to operate
_____ activities at _____;

AND WHEREAS, as per requirement of the H.P. Miscellaneous Adventure Activities Rules, 2017, the operator is required to indemnify the Government of Himachal Pradesh and Tourism & Civil Aviation Department from any cost to be incurred in rescue/ medical expenses in the case of emergency, accident etc. of the operator/ guide as well as the customer and the Government of Himachal Pradesh shall not be liable to pay any compensation to the operator, guide or to the customer in case of death, serious and minor injuries in such Miscellaneous Adventure Activities;

NOW, KNOW BY AND THESE PRESENT WITNESS THAT, I, _____ S/o.
_____ R/o. _____ on receiving the said permission is
executing this indemnity bond to indemnify the State Government of Himachal Pradesh and the Department of Tourism & Civil Aviation and assign that the said covenanting parties jointly and severally have set their hands and that their heirs, executors, administrators and assigns shall on granting this permission to (concerned) the operator, against all actions, causes of actions, suits, proceedings, accounts, claims and demands at all times save, defend and keep harmless and indemnified the Government of Himachal

Pradesh and the Department of Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh and assigns and each of their estates and effects from and whatsoever at law or an equity or otherwise, whatsoever, for or on account of the said permission in connection with the miscellaneous adventure activities on part of any person or persons whomsoever from and against damages and cause charges and expenses in respect of rescue/ medical expenses etc. in case of emergency/ accident etc. of the operator, guide or the customers, even in case of death, serious and minor injuries, indemnify the State Government of Himachal Pradesh and the Department of Tourism and Civil Aviation, Himachal Pradesh on all the accounts, whatsoever.

IN WITNESS WHEREOF the said Sh. _____ S/o. _____
R/o. _____ have had unto set his respective hands and seal this
_____ day of _____ month, _____ year.

Signed, sealed and delivered by the said Sh. _____
S/o. _____ R/o. _____

(Signature of the Operator),

Witnesses:

1. _____

(Signature)

Name _____

Address _____

2. _____

(Signature)

Name _____

Address _____

Place: _____

Date: _____

Name _____

Address _____

Form-5

(See rule 14(xiv))

UNDERTAKING

I have been informed and I am aware that Miscellaneous Adventure Activities can be dangerous and include many risks and dangers, including but not limited to the hazards of travelling accident or illness in remote place, without medical facilities, force of nature, acts of God, extreme weather conditions, and physical exertion for which I may not be prepared and evacuation difficulties should I be injured or disabled I have been informed and I am aware of these and other inherent risks, and of the proposed trip and acknowledge that enjoyment of adventuring beyond normal safety of home and work is it part the reason for my participation on this trip.

I, therefore, indemnify the State of H.P. and Tourism & Civil Aviation Department from any cost to be incurred in rescue/ medical expenses in the case of emergency/ accident etc. The State of Himachal Pradesh shall not be held liable to pay any compensation to the operator, guide or to the customer in case of their death, serious and minor injuries on account of my participating in such Miscellaneous Adventure Activities.

Signature _____

Participant Name _____

Address _____

Place: _____

Date: _____

Seal

By Order,

Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. Principal Secretary/ Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2.
3. The DLR-cum-Deputy Secretary Law (Legn) to the Govt. of HP.
4. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
5. The Commissioner, Tourism & Civil Aviation, H.P. Shimla-9.
6. The Managing Director, H.P. TDC, Ritz Annexe, Shimla-1.
7. All the Heads of Departments in Himachal Pradesh.
8. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
9. The Director, Atal Behari Vajpayee Mountaineering and /allied Sports Institute, Manali, District Kullu, HP.
10. Controller, Printing and Stationery, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra, HP
11. All the Deputy Directors, Tourism and Civil Aviation in Himachal Pradesh.
12. Guard file.



(Rajinder Negi)

Deputy Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
Tel.No.2621002 email:tourismbr-hp@nic.in